



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

‘सार्वजनिक सूचना’

मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा अर्जित 281 एकड़ भूमि जो मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.11.2016 से प्रभावित काश्तकारों/भूमिधारकों को सूचित किया जाता है कि नियमानुसार विकसित भूखण्ड आवंटन हेतु अपनी सहमति 03 दिन के भीतर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, (सहमति का प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध है) नहीं तो यह समझा जायेगा कि प्रभावित काश्तकार/भू-स्वामी भूखण्ड लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं।

प्रभारी भू-अर्जन

ई-मेल : helplinegda@gmail.com,  : @ Gda Ghazilabad  : @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाईट: www.gdaghazilabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प

सहमति पत्र

समक्ष: उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

महोदय,

प्रार्थी की राजस्व ग्रामपरगनातहसील.....

.....जिलाके खसरा सं०—.....

भूमि का अर्जन प्राधिकरण द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय योजना हेतु वर्ष-2004-05 में कराया गया था। भूमि अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-31 के अन्तर्गत घोषित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अधिनिर्णय के अनुसार प्रार्थी अपनी अर्जित भूमि के सापेक्ष नियमानुसार भूखण्ड आवंटन हेतु अपनी सहमति के साथ-साथ धारा-31 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित विकास शुल्क एवं प्रतिकर की धनराशि जमा करने की भी सहमति प्रदान करता हूँ।

कृपया प्रार्थी की सहमति को स्वीकार करते हुए अविलम्ब भूखण्ड आवंटन करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

दिनांक :

प्रार्थी—

निवासी—

तहसील—

जिला—

मो०नं०—

